भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2868

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में घटता जल स्तर

2868. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में लगातार घटते जल स्तर के कारण उत्पन्न गंभीर पेयजल संकट से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं:
(ग) सरकार द्वारा राजस्थान के सुदूर जिलों के गांवों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) राजस्थान के विभिन्न जिलों में पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पेयजल परियोजनाओं के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधि का जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का विचार पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित करने का है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाली नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश के ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल तक पहुंच में विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, दिनांक 09.12.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना के अनुसार, लगभग 12.10 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 09.12.2024 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.34 करोड़ (79.28%) परिवारों के पास नल जल आपूर्ति की सुविधा होने की सूचना है।

गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/या मौजूदा स्रोतों का संवर्धन, जल जीवन मिशन का एक अभिन्न अंग है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई)/ग्रामीण जल आपूर्ति (आरडब्ल्यूएस) विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) जेजेएम के अंतर्गत शुरू की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदित करती है। एसएलएसएससी के समक्ष रखे गए प्रस्तावों की स्कीम की डिजाइन अवधि के लिए निर्धारित गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता के लिए स्रोत अन्वेषण समिति द्वारा निरपवाद रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि आदि जैसी अन्य स्कीमों के सामंजस्य से पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

(ग) और (घ) जल जीवन मिशन में राजस्थान के दूरस्थ जिलों के गांवों सहित सभी गांवों को कवर करने के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15 अगस्त 2019 को राज्य में जेजेएम के शुभारंभ के समय, लगभग 11.68 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 47.21 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 09.12.2024 तक, राजस्थान में 58.89 लाख (54.87%) से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां सीधे जारी की जाती हैं और उनके जिला-वार निधि ब्यौरे भारत सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, राजस्थान

राज्य को पिछले पांच वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (09.12.2024 तक) के दौरान आवंटित निधि, आहरित निधि और राज्य द्वारा संसूचित उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	केंद्र					राज्य हिस्से के तहत व्यय
	अथ शेष	आवंटन	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	686.69
2020-21	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	789.05
2021-22	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,919.83	1,665.84
2022-23	1,288.79	13,328.60	6,081.80	7,370.59	3,935.10	4,122.44
2023-24	3,435.49	3,019.94	250.00	3,685.49	2,898.54	3,904.64
2024-25*	786.95	11,061.46	1,659.22	2,446.17	2,164.79	979.03

स्रोत : जेजेएम-आईएमआईएस **09.12.2024 के अनुसार*

(ङ) और (च) भारत सरकार जेजेएम का कार्यान्वयन कर रही है जिसका उद्देश्य देश में सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराना है। विस्तृत ब्यौरा (क) से (घ) में दिया गया है।

*****